प्र०सं० 67/2018
अयजराज बनाम सिरोही बगैरह
अं० धारा 251 'क' RTA

4/4/23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज से प्राप्त रास्ते के प्रस्ताव एवं वकील पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि मौजा कैलाशनगर–1 के खसरा नं0 1140, 1141, 1141/3491, 1142, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1171/1 एवं 1172/1 कुल किता 11 कुल रकबा 16.7053 हैक्टयर भूमि की आराजी अयजराज पुत्र वरदाराम 1/2, शंकरलाल पुत्र वरदाराम 1/2 जाति पुरोहित साकिन कैलाशनगर राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज है। जिसमें वर्तमान में आवागमन हेतु खसरा नं0 1131 रकबा 0.2104 हेक्टयर किस्म रास्ता बिलानाम से लगते हुए खसरा नं0 1137 से होते हुए खसरा नं0 1140, 1141 व 1142 में से रास्ता छोडा हुआ है। जो वर्तमान में मौके पर चालू है। उक्त रास्ता निकटतम दूरी पर स्थित है। **धारा 251 'ए' राज0 काश्तकारी अधिनियम में यदि खातेदार को खातेदारी भूमि में पंहुच तक राजस्व/कटान रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर सुविधा के लिये रास्ता हेतु न्यूनतम दूरी का खातेदारी में पहुंच तक रास्ता पाने का प्रावधान है।**

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, शिवगंज को निर्देश दिये जाते है कि पूर्व आदेश अनुसार यदि प्रार्थी द्वारा यदि कोई राशि राजकोष में जमा कराई गई हो तो उसे नियमानुसार लौटाने की कार्यवाही करें। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.08.03 16:03:05 IST
Reason: SelfAttested